urgent Latita AA Heads to cancel

URGENT 5/9/19

पत्रांक 905 / पी०एस०
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लखीसराय।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

सेवा में,

अधीक्षक,
श्रीकृष्ण मेमारियल अस्पताल, मुजफ्फरपुर।

लखीसराय, दिनांक– 27.8.19

विषय :– **S.T.No.-199/11 (सूर्यगढ़ा थाना काण्ड सं0–334/08) में डॉ0 विभूति भूषण प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी के गवाही के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना हैं कि **S.T.No.-199/11** (सूर्यगढ़ा थाना काण्ड सं0–334/08) में साक्षी डॉ0 विभूति भूषण प्रसाद, तत्कालीन् चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर वर्त्तमान सम्प्रति श्रीकृष्ण मेमोरियल अस्पताल, मुजफ्फरपुर का गवाही माननीय त्वरित न्यायालय प्रथम, लखीसराय के न्यायालय में **दिनांक–09.09.2019** को प्रातः 10:30 बजे निर्धारित है एवं ट्रायल कोर्ट के द्वारा साक्षी चिकित्सा पदाधिकारी का गवाही नहीं होने के कारण अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वाद हत्या जैसे गंभीर काण्ड से संबंधित हैं, जिसमें सभी गैर सरकारी अभियोजन साक्षियों की गवाही हो चुकी है तथा साक्षियों द्वारा प्राथमिकी/घटना समर्थन किया गया है एवं माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर अनुरोध करने पर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है, चूँकि वाद वर्षो पुराना है। निर्धारित तिथि को माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर वाद में अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित सरकारी साक्षी की होगी। सिर्फ उक्त चिकित्सा पदाधिकारी की गवाही हेतु उपरोक्त वाद लंबित चला आ रहा है।

अतः अनुरोध हैं कि डॉ0 विभूति भूषण प्रसाद को अपने स्तर से संबंधित न्यायालय में निर्धारित तिथि **दिनांक–09.09.2019** को ससमय गवाही देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाय।

वि श्‍ वा स भा ज न्

27/8/19
पुलिस अधीक्षक, लखीसराय।

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को माननीय न्यायालय से उपरोक्त वाद में डॉ0 विभूति भूषण प्रसाद के विरूद्व निर्गत अजमानतीय अधिपत्र को मूल में संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अधिपत्र का तामिला संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से कराने की कृपा की जाय।

27/8/19
पुलिस अधीक्षक, लखीसराय।

Sri Krishan Medical College, Muz.
Letter No. 10266/19
Date: 5/9/19
Receiver Sign